R-1209-II/2004

समक्ष- माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प, सागर

दिनांक 16-9-04 को श्री अजय श्रीवास्तव अभि० द्वारा सागर कैम्प पर प्रस्तुत।
16-9-04
रीडर

1- बलवान सींग

2- लखमन सींग

3- रामसींग

4- लाखन सींग,

5- मालक सींग,

6- मिहयन

सभी के पिता श्री रामसेवक सिंह,

निवासी ग्राम मातौल खास तह0 बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ -- आवेदकगण

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन --- -- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰भू॰रा॰सं॰ 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्र0 8063अ/19 वर्ष 01-02 में पारित आदेश दिनांक 16/7/04 से परिवेदित होकर यह निग0 निम्न प्रमुख व अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :-

1- यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य और व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि, अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में व्याप्त जांच प्रतिवेदन पर विश्वास करके आदेश पारित किया है यह त्रुटिपूर्ण है । कानूनन प्रतिवेदन देने वाले का न्यायालय के समक्ष परीक्षण और प्रतिपरीक्षण होना चाहिए जो इस प्रकरण में नहीं हुआ है और यह भी त्रुटिपूर्ण कार्यवाही मानी जाती है कि स्वमेव निगरानी के प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र जारी करके उत्तर लेकर, बहस सुनकर अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। वास्तव में प्रमाण भार शासन पर होता है, शासन के साक्षीगण के परीक्षा के बाद आवेदकगण से रक्षा साक्ष्य की अपेक्षा करना चाहिए । इस कारण

.. 2

R-1209 म/04 दीक्षा16 (98)

1	2	3
26/8/15	आवेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित होकर निवेदन किया है कि वह इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	26/8/2015
31/8/15		

लाकर 3??